न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 08/2019

1. मनजीत कौर पत्नि अग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस कीकरवाली तहसील श्री करणपुर।
2. अग्रेज सिंह पुत्र बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस कीकरवाली तहसील श्री करणपुर।
3. विजय सिंह पुत्र बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस कीकरवाली तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. रामकुमार पुत्र मनफूल राम जाति नायक निवासी 7 एस कीकरवाली तहसील श्री करणपुर।
2. माया देवी पत्नि रतन लाल जाति नायक निवासी 7 एस कीकरवाली तहसील श्री करणपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 24.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 7 एस कीकरवाली की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के मु.न. 63 की कुल 2.922 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के मु.न. 63 के पूर्व दिशा में मु.न. 64 स्थित है। मु.न. 64 के साथ मु.न. 65 में चक 7 एस की आबादी स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण की कृषि भूमि मु.न. 63 आबादी भूमि से 4 बीघा दूरी पर स्थित है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मु.न. 63 के किला न. 8,12,13,14,15,16,17,18,22/2,23,24,25 की कुल 2.922 हैक्टर नहरी भूमि में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक या विशिष्ट रूप से मार्ग विद्यमान नहीं है। मु.न. 64 के किला न. 4,3,2,1 में से प्रत्येक किला के उतरी दिशा में व मु. न. 63 के किला न. 5 में प्रवेश कर पूर्वी दिशा में व किला न. 6 के पूर्वी दिशा में मार्ग स्वीकृत किया जाना आत्यंतिक आवश्यकता है। चक 7 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 105/88 के मु.न. 64 के किला न. 1 ता 4 व इसी चक के खाता संख्या 126/61 के मुरब्बा न. 63 के किला न. 5 अप्रार्थी संख्या 1 रामकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तथा इसी चक के मु.न. 63 का किला न. 6 अप्रार्थी संख्या 2 माया देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कई बार प्रस्तावित रास्ते हेतु मांग की तो अप्रार्थीगण ने स्पष्ट कहा कि हम आपको अपनी भूमि में से आने जाने नहीं देगें। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार , श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 7 एस की कृषि भूमि के मु.न. 64 के किला न. 4,3,2,1 की उतरी बट के साथ-साथ

एक-एक बिस्वा व मु.न. 63 के किला न. 5 व 6 की पूर्वी बट के साथ-साथ खाला की भूमि को छोडकर एक-एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व तामिल बावजूद उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र रमाणा अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार है कि मु.न. 63 की पूर्व दिशा में मु.न. 64 व 65 तथा 7 एस की आबादी भूमि स्थित है। यह कहना गलत है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि आबादी से 4 बीघा दूरी पर हो और अपने खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हो। यह कहना भी गलत है कि प्रार्थीगण मु.न. 64 के किला न. 4,3,2,1 में से उतरी दिशा में व मु.न. 63 के किला न. 5 व 6 में रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक हो। यह कथन स्वीकार है कि चक 7 एस के मु.न. 64 के किला न. 4,3,2,1 व मु.न. 63 के किला न. 5 पर अप्रार्थी संख्या 1 व किला न. 6 पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण कुल 6 बीघा लम्बाई में रास्ता की मांग कर रहे है जबकि मु.न. 63 के पूर्वी दिशा में स्थित मु.न. 64 के किला न. 25,24,23,22, व 21 में छोटा निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता से अपने मु.न. 63 में प्रार्थीगण पहुच सकते है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थीगण को मु.न. 64 के किला न. 21 ता 25 में से रास्ता दिया जा सकता है। यदि अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण को काश्त करने व पानी लगाने में कइिनाई होगी क्योकि मु.न. 64 व 63 के मध्य सरकारी पक्का खाला है। 251 ए आरटीए में स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ता उसी स्थान से दिया जा सकता है जो छोटा सरल व निकटतम हों। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर से प्राप्त हुई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के नाम चक 7 एस के खाता संख्या 78/77 में 3.355 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज है। उक्त खाता संख्या 78 साझा खाता है। अप्रार्थीगण रामकुमार के नाम खाता संख्या 88/80 में 5.819 हैक्टर भूमि दर्ज है। जिसमें मु.न. 64 के किला न. 1,2,3,4 दर्ज है। खाता संख्या 61 के सयुक्त खाता में मु.न. 63 के किला न. 5 व 6 दर्ज है। जिसमें किला न. 5 पर रामकुमार व किला न. 6 पर माया देवी की कब्जा काश्त में बताई गई है प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यातिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मु.न. 64 के किला न. 21 ता 25 में से होकर जाना सरल रहेगा। मु.न. 64 के किला न. 21 ता 25 साझा खाता संख्या 17/26 में दर्ज है।

बहस सुनी गई प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के द्वारा चक 7 एस की कृषि भूमि के मु.न. 64 के किला न. 4,3,2,1 की उतरी बट के साथ-साथ एक-एक बिस्वा व मु.न. 63 के किला न. 5 व 6 की पूर्वी बट के साथ-साथ खाला की भूमि को छोडकर एक-एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण कुल 6 बीघा लम्बाई में रास्ता की मांग कर रहे है जबकि मु.न. 63 के पूर्वी दिशा में स्थित मु.न. 64

के किला न. 25,24,23,22, व 21 में छोटा निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता से अपने मु.न. 63 में प्रार्थीगण पहुच सकते है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मु.न. 64 के किला न. 21 ता 25 में से होकर जाना सरल रहेगा। मु.न. 64 के किला न. 21 ता 25 साझा खाता संख्या 17/26 में दर्ज है। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी जिस भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की मांग की गई है वह मुश्तर्का खाता की भूमि है। तथा मु.न. 63 के किला न. 5 व 6 में से रास्ता की मांग की गई है वह भी किला न. 5 व 6 मुश्तर्का खाता की भूमि में दर्ज है। मुश्तर्का खाता की भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है। तहसीलदार श्री करणपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को वैकल्पिक रास्ता मु.न. 64 के किला न. 21 ता 25 में से दिया जा सकता है। जो कि सहज एंव सुलभ है, जिन्हे प्रार्थी के द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मु.न. 64 के किला न. 21 ता 25 में से वैकल्पिक रास्ता दिया जा सकता जिन्हे प्रार्थीगण पक्षकार बनाकर अपना नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.24 15:28:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: